

कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी पं. खुशीलाल शर्मा,  
शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान

( माइन्स हिल्स, मैनिट के पीछे, भोपाल )

E-mail: principal@klsgaci.nic.in

Website: www.klsgaci.edu.in

Phone: 0755-2970310

क्रमांक/2019/छात्रकक्ष/1605

भोपाल, दिनांक: 11/12/2019

//पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश//

पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल में सत्र 2019-20 के लिए निम्नानुसार पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र.	पाठ्यक्रम	उपलब्ध सीट की श्रेणीवार संख्या									कुल सीट संख्या	पाठ्यक्रम की अवधि	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता
		प्रदेश के बाहर हेतु सीट	अना.		अ.जा.		अ. ज.जा.		अ.वि. वर्ग				
			ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला			
1	डिप्लोमा इन फार्मसी (आयुर्वेद) 02 वर्षीय	08	12	06	05	02	07	02	05	-	45	02 वर्षीय	10+2 (भौतिकी रसायन एवं जीव विज्ञान) अधिका संभवतः
2	पंचकर्म टेक्नीशियन (सर्टिफिकेट कोर्स) 01 वर्षीय	08	12	06	05	-	07	02	05	01	44	01 वर्षीय	10+2 बारहवीं कक्षा भी (सकाय)विषय से उत्तीर्ण अथवा समकक्ष

आवेदन पत्र का प्रारूप व नियम एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी संस्थान की Website: www.klsgaci.edu.in में डाउनलोड किया जा सकता है। यदि आवेदन पत्र संस्थान से ही प्राप्त करना चाहे तो हस्ते प्राप्त करने हेतु अनारक्षित वर्ग आवेदन के लिये रूपये 200/- मात्र तथा आरक्षित वर्ग के लिये रूपये 100/- का बैंक ड्राफ्ट जो कि प्रधानाचार्य पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान, भोपाल के नाम देय हो, का निर्धारित शुल्क जमा कर कार्यालयीन समय में प्राप्त कर सकते हैं। भरे हुये आवेदन पत्र वांछित दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रतियों सहित संस्थान में कार्यालयीन समय में जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 24.12.2019 है। अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। पाठ्यक्रम में प्रवेश, मैरिट के आधार पर महाविद्यालय ऑफलाईन काउंसलिंग के माध्यम से दिया जायेगा। डिप्लोमा इन फार्मसी (आयुर्वेद) की काउंसलिंग दिनांक 26.12.2019 एवं पंचकर्म टेक्नीशियन की काउंसलिंग दिनांक 27.12.2019 को प्रातः 10:00 बजे से निर्धारित है, विस्तृत शेड्यूल वेबसाईड पर उपलब्ध है, अनुमार काउंसलिंग में भाग लेते समय अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदन के साथ संलग्न किये गये अभिप्रमाणित दस्तावेजों के मूल दस्तावेज एवं निर्धारित शुल्क के साथ में लाना सुनिश्चित करें। इस हेतु पृथक से कोई कॉल लेटर नहीं भेजा जायेगा। काउंसलिंग में भाग लेने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

( डॉ. उमेश शुक्ला )

प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

G-20511/19